रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 720] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2009/वैशाख 18, 1931
No. 720] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2009/VAISAKHA 18, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2009

का.आ. 1178(अ).— केन्द्रीय सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1192 (अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2001 और का.आ. संख्यांक 465 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 163.400 कि.मी. से 207.600 कि.मी., 248.165 कि.मी. से 259.230 कि.मी. और 207.600 कि.मी. से 248.165 कि.मी., (बैंगलौर - सालेम - मदुरई और नमाकल बाईपास सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के (i) 180.000 कि.मी. - 199.200 के विकास तथा प्रचालन और अनुरक्षण,(ii) 199.200 कि.मी. - 207.050 जो कि चार लेन का खंड है के विकास तथा प्रचालन और अनुरक्षण और (iii) 207.050 कि.मी. - 248.625 (ओमालुर - नमाकल बाईपास पर प्रस्तावित पुल से शुरू होकर) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विधमान दो लेन वाले भाग को चार लेन बनाने, परिवहन मार्ग में विभाजित करने, विकास तथा प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स एम वा आर इनफरासट्रकचर टोल प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय फलैट नम्बर- 913, 9वीं मंजिल वरुना बलाक माई होम नवदीप हाइटेक सिटी मधापूर हैदराबाद- 500081 है (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अर्न्तवलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण रियायतग्राही के बीच किए गऐ करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार फीस दरों पर फीस उदग्रहीत करेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही इनमें से जो भी पश्चात् हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति तक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ;

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा, प्रति कि.मी. की दर (रूपए में)
1.	2.	3.
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	0.70
3.	ट्रक, बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (>2 धुरीय)	2.25

टिप्पण:-

1. फीस संग्रहण पथकर प्लाजा 191.800 कि. मी. पर होगा ।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,

(क) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के उपयोक्ताओं से प्रभारित निम्नलिखित के आधार पर व्युत्पन्न वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

(क) उक्त खंड की लम्बाई (कि.मी.) में, और

(ख) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (3) में दी गई आधार फीस की दर

और जो एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ख) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त सेक्शन के पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(ग) "दिन" पद से 24 घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है ।

(घ) संदेय फीस के सम्बंध में "स्थानीय यातायात" से उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 1 में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रवर्ग से अभिप्रेत है, स्थानीय यातायात के निम्नलिखित प्रवर्ग अभिप्रेत है अर्थात् :-

(i) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग I" के अंतर्गत आने वाले प्रयोक्ता सम्मिलित है -

- (अ) ऐसे ग्रामों, कस्बों या शहरों के निवासी जिनकी सीमा फीस संग्रहण बूथ के दस कि.मी. के भीतर आती है ;
- (आ) पथकर प्लाजा के दस कि.मी. के भीतर अवस्थित स्थापन या औधोगिक इकाइयाँ ;
- (इ) ऐसे स्थापनों या औधोगिक इकाइयों के कर्मचारी, जो कार्यालय पथकर बूथों के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं या उनका कार्यालय है ; और
- (ई) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य पथकर बूथों के दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है

(ii) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग II" के अंतर्गत आने वाले प्रयोक्ता सम्मिलित है

- (अ) ऐसी ग्रामों, कस्बों या शहरों के निवासी जिनकी सीमा पथकर प्लाजा के दस से अधिक परन्तु बीस कि.मी. तक के भीतर आती है ।
- (आ) पथकर प्लाजा के दस कि.मी. से अधिक परन्तु बीस कि.मी. तक के भीतर अवस्थित या स्थापन औधोगिक इकाइयां है ।
- (इ) ऐसे स्थापनों या औधोगिक इकाइयों के कर्मचारी जो पथकर प्लाजा के दस कि.मी. से अधिक परन्तु बीस कि.मी. तक के भीतर अवस्थित है या जिनका कार्यालय स्थित है।
- (ई) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य स्थल पथकर प्लाजा के दस कि.मी. से अधिक परन्तु बीस कि.मी. तक के भीतर है

(ङ.) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

3. उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है परन्तु उक्त सेक्शन के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त करार, में उनके हैं ।

4. वास्तविक फीस और उसका पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी उसका पुनरीक्षण निम्नानुसार की जाएगी:-

आधार फीस X $\frac{\text{थो.की.सू. ख}}{\text{थो.की.सू. क}}$ X उक्त खंड की लम्बाई (कि.मी. में)

जहां

(i) थो.की.सू. क जून 1997 (131.4) को थोक कीमत सूचकांक है ;

(ii) थो.की.सू. ख पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक है ;

(iii) थो.की.सू. से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्यिक और उधोग मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है ;

5. जब उसी यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में, पथकर बूथों को पार करते समय उपरोक्त सारणी के स्तम्भ तीन में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे । यदि उसी यांत्रिक यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी उक्त सारणी के स्तम्भ तीन में यथाविनिर्दिष्ट उसको लागू तीस एकल दरों के समतुल्य प्रभारों को संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

6. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नही की जाएगी, अर्थातः-

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;
(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;
(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;
(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय या राज्य मंत्री या लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या
(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान, जिनके अतंर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।

7. रियायतग्राही निम्निलिखित दरो से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्:

(क) **कार/जीप/वैन के लिए**

(i)	स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1 :	150.00 रूपये का मासिक पास
(ii)	स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2 :	300.00 रूपये का मासिक पास

(ख) **बसें**

(i) राज्य परिवहन बसों के लिए ऐसे सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणन पर जो महाप्रबंधक राज्य सरकार सडक परिवहन की पंक्ति से निम्न नहीं होगा द्वारा उस मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली बसों की संख्या प्रमाणित किए जाने पर उपरोक्त सारणी में बस के लिये दी गई दर के तीस गुना दर पर मासिक पास दिए जाएंगे । निजी या स्थानीय प्रचालकों के मामले में जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मार्ग प्रचालन के लिए अपने परमिट और मार्ग प्रचालन की समय सारणी प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त सारणी मे बस के लिये विनिर्दिष्ट दर के तीस गुना दर पर मासिक पास दिए जाएंगे ।

(ii) स्कूली छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए पथकर प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्राचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्राप्ति पर 1000/- (एक हजार रूपये) की दर से मासिक पास जारी किये जायेगा ।

(ग) **हल्के वाणिज्यिक यान/ट्रक :** (स्थानीय परिवहन प्रचालकों)

स्थानीय परिवहन प्रचालकों कों 20 कि.मी. के भीतर उन्हें चलानें का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्योरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर प्रत्येक प्रवेश पर ट्रकों के लिये 25 रूपयें (पच्चीस रूपयें) और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिये 15 रूपये (पन्द्रह रूपये) दर पर रियायत फीस दी जाएगी ।

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात द्वारा स्वतंत्र उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन खुली हुई है वहाँ रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यानों से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत तभी करेगा यदि वे उक्त सेक्शन का उपयोग करते है ।

8. जब कभी किसी सेवा लेन का निर्माण किया जाएगा तो रियायतग्राही ऐसी लेन (लेनों) के उपयोक्ताओं से कोई फीस संग्रहीत नही करेगा ।

9. यदि किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उदगृहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के अंतर्गत नहीं आते है ।

10. रियायतग्राही फीस का उदग्रहण और संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 199.200 कि. मी. से 248.625 कि मी चार लेन के खंड के पूरा होने पर प्रारंभ करेगा ।

11. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, और सार को पुनरीक्षित फीस को प्रभाव देने से दस दिन पहले पुनः प्रकाशित करेगा ।

12. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो रियायतग्राही के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नही हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क उपयोक्ताओं को और उससे संबंधित विषयों के लिए असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है ।

13. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी पथकर प्लाजों से 500 मी. आगे, पथकर प्लाजों से 100 मी. आगे और पथकर प्लाजों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी और प्रदर्शित बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए प्रदर्शित बोर्ड का पढ़ना आसान हो सकें ।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/341/07-08/सी.ओ./जीसी सेलम (ओमालुर-नम्माकल) बीओटी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2009

S.O. 1178(E).—Whereas, the Central Government vide notifications of Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192 (E), dated 3rd December, 2001, and S.O. 465 (E), dated 26th April, 2002 issued under section 11 of the National Highways Authority of the India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, had entrusted the stretches from Km 163.400 to Km 207.600, Km 248.165 to Km

259.230 and Km 207.600 to Km 248.165 (Bangalore -Salem -Madurai and Namakkal Bypass section) of national highway No. 7 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s M.V.R. Infrastructure Tollways Private Limited having its registered office at Flat No. 913, 9th Floor, Varuna Block, Myhome, NAVADWEEPA Hi- Tech City, Madhapur, Hyderabad- 500081 (hereinafter referred to as the Concessionaire), *inter alia* for the (i) improvement, if required, operation and maintenance for the stretch from Km 180.000 – Km 199.200, (ii) improvement, operation and maintenance of already four lane section from Km 199.200 – Km 207.050, (iii) widening of the existing two lane road to four lane divided carriageway, operation and maintenance from Km 207.050 – Km 248.625 (Omallur – Start of proposed flyover on Namakkal Bypass section) of the national highway Number 7 (hereinafter referred to as the said section);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance. management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby levies fee at the base rate specified in column (3) of the following Table, on the category of vehicles specified in column (2) thereof, for the use of the said section and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement.

Table

S. No.	**Category of Vehicle**	**Rate of base fee per Km per vehicle per one way trip (in rupees)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Car, passenger van or jeep	0.40
2	Light Commercial Vehicles	0.70
3	Truck, Bus	1.40
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25

Notes:-

1. The fee shall be collected at the Toll Plaza at Km. 191.800.

2. For the purposes of this notification,-

(a) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of,

(a) its length in kilometers; and

(b) fee at the base rate as shown in column (3) of the above Table, and shall be rounded off to nearest one rupee.

(b) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said Section of national highway No. 7 begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said Section of national highway No. 7 in accordance with the provisions of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(c) "day" means a continuous period of twenty-four hours;

(d) "local traffic", in relation to the fee payable for the category of vehicles specified against S.No.1 of the above Table, means the following categories of local traffics, namely :-

(i) "local traffic category I" which shall include users being-

(A) residents of villages, towns or cities the boundaries of which are within a radius of ten kilometers from the toll plaza;

(B) establishments or industrial units which are located within a radius of ten kilometers from the toll plaza;

(C) employees of establishments. or industrial units which are located or which have their offices within a radius of ten kilometers from the toll plaza; and

(D) self employed persons or businessmen having their place of work within a radius of ten kilometers from the toll plaza;

(ii) "local traffic category II" which shall include users being-

(A) residents of villages, towns or cities the boundaries of which are within a radius of more than ten kilometers but within twenty kilometers from the toll plaza;

(B) establishments or industrial units which are located within a radius of more than more than ten kilometers but within twenty kilometers from the toll plaza;

(C) employees of establishments or industrial units which are located or have their offices within a radius of more than more than ten kilometers but within twenty kilometers from the toll plaza; and

(D) self employed persons or businessmen having their place of work within a radius of more than ten kilometers but within twenty kilometers from the toll plaza;

(e) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

3. Words and expressions used herein and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.

4. The actual fee and revision thereof effective from 1st September every year shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length of the section in kilometer.}$$

Where -

(i) WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997(131.4).

(ii) WPI-B = is the Wholesale Price Index for the end of the preceding financial year.

(iii) WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

5. When the same vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay fee for multiple trips at the rate one and half times the rate specified in column (3) of the above Table while crossing the toll plaza in the first trip itself, or where such vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month, the user may have a monthly pass at the rate thirty times the rate so specified in column (3) of the above Table.

6. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(i) Vehicles-

(A) having VIP symbols or officially belonging to:

(a) the President of India;

(b) the Vice-President of India;
(c) the Governor of a State and Lt. Governor of a Union territory;
(d) a Foreign dignitary on State visit to India;
(e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
(f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or
(g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, fire fighting vehicles, ambulances, funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

7. Concessionaire shall not collect fees from local traffic in the excess of he following discounted rates;

(a) Car, Jeep or Van:

i) Local Traffic Category I : Monthly pass of Rs 150.00
ii) Local Traffic Category II : Monthly pass of Rs 300.00

(b) Buses:

(i) monthly passes shall be issued on payment of thirty times of the single journey rates applicable for the said stretch, in case of State Transport buses, on the certification of the competent authority (not below the rank of General Manager, State Government Road Transport) certifying the number of buses plying in the route per day and in case of private local operators, on production of their route permit and timetable of the route operation duly certified by the District Transport Authority".

(ii) monthly passes for school buses carrying school students, crossing the toll plaza may be given at the rate of rupees one thousand per month after obtaining written request of the school principal along with the document showing recognition of the school and the registration of the bus.

(c) Light Commercial Vehicle/Trucks (Local Transport Operators):

Concessional fee for Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty kilometers i.e. goods challan origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle shall be rupees twenty five for trucks for each entry and rupees fifteen for Light Commercial Vehicle for each entry.

Provided, however, that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic, if they use the four lane highway.

8. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane (s)

9. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the Table shown above.

10. The Concessionaire shall commence levying and collecting of user fee from the users after completion of four lanning and improvement of the section from Km 199.200 to Km 248.625 of the national highway No 7 from the date of Commercial Operation of the section.

11. The concessionaire shall publish substance of this notification including the date of commercial operation in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), at least ten days prior to the date of commercial operation and also ten days prior to giving effect to revised fee.

12. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection. The Concessionaire and also the said officer shall be responsible to ensure that fee is collected at not more than the agreed rates and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users.

13. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to

whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed five hundred meters ahead of the toll booths, hundred meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

[F. No. NHAI/13013/341/07-08/CO/GC Salem (Omallur-Namakkal) BOT]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.